अति आवश्यक/ आज ही जारी हो

राजस्थान सरकार
औषधि नियंत्रण संगठन, स्वास्थ्य भवन, तिलक मार्ग,
राजस्थान, जयपुर।

क्रमांक डीसी–2/ए–I/अनो/13/ 14 दिनांक 4/1/13

समस्त सहायक औषधि नियंत्रक, राजस्थान।
समस्त औषधि नियंत्रण अधिकारी, राजस्थान।

अलर्ट नोटिस

विषय :– M/s Biotech Pharma, Nalagarh, Baddi (H.P.) के नाम से निर्माता अस्तित्व में नहीं होने एवं M/s Sanative Pharmaceuticals (P) Ltd., Selaqui, Dehradun-248197 के द्वारा निर्मित समस्त स्टाक जब्त करने के संबंध में।

संदर्भ :– पूर्व अलर्ट नोटिस क्रमांक 2395 दिनांक 27.12.2012

आपको पूर्व संदर्भित अलर्ट नोटिस से Tablet Biocip-500, B.No. SNT-1270, Mfgd by M/s Biotech Pharma, Nalagarh, Baddi (H.P.) का नमूना अवमानक/ स्पूरियस घोषित होने की सूचना भेजते हुये आपके क्षेत्र में पूर्ण निगरानी/ सतर्कता बरतने एवं इस कम्पनी की अन्य दवाओं के नमूनें जांच हेतु देने एवं स्टाक को फ्रीज/सीज करने के निर्देश दिये गये थे।

औषधि नियंत्रक, हिमाचल प्रदेश ने सूचित किया है कि उनके राज्य में बायोटेक फार्मा के नाम से किसी संस्था को औषधि निर्माण लाईसेन्स नहीं दिया गया है एवं इस नाम की कोई कम्पनी अस्तित्व में नहीं है अतः इस निर्माता के नाम से बनी हुई कोई भी दवा औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम के प्रावधानों के तहत स्पूरियस (SPURIOUS) की परिभाषा में आती है इसलिये निर्देश दिये जाते हैं कि ऐसे समस्त स्टाक को जब्त कर नियमानुसार कार्यवाही कर सूचित करें।

औषधि नियंत्रक, उत्तराखण्ड द्वारा निर्माता कम्पनी M/s Sanative Pharmaceuticals (P) Ltd., Khasra No. 323/1, Plot No. Twin Industrial Estate, Selaqui, Dehradun-248197 पर करवाई गई जांच में इस बात की पुष्टि भी हुई है कि उत्तराखण्ड स्थित निर्माता द्वारा ही M/s Biotech Pharma, Nalagarh, Baddi के नाम से नकली दवा का निर्माण किया गया है। इसलिये M/s Sanative Pharmaceuticals (P) Ltd., Khasra No. 323/1, Plot No. Twin Industrial Estate, Selaqui, Dehradun-248197 के नाम से निर्मित कोई भी दवा यदि कहीं भी उपलब्ध हो तो उसके नमूने लेकर समस्त स्टाक को तुरन्त जब्त करें एवं अधिनियम के प्रावधानों के अन्तर्गत आवश्यक कार्यवाही कर सूचित करें।

इसे सर्वोच्च प्राथमिकता प्रदान करें।

औषधि नियंत्रक,
राजस्थान, जयपुर

कृ.पृ.उ.

D:\Mukesh Ji\Alert Notice.doc

क्रमांक डीसी–2/ए–I/अनो/13/ १५ दिनांक ५|१|13

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रषित है :–

1. औषधि महानियंत्रक (भारत), एफ.डी.ए. भवन, कोटला रोड, नई दिल्ली।
2. उप औषधि नियंत्रक(भारत), सी0डी0एस0सी0ओ0 (नार्थ जोन), कमला नेहरू नगर, गाजियाबाद।
3. कार्यकारी निदेशक, आर0एम0एस0सी0एल0, मुख्यालय।
4. निजी सचिव, मिशन डायरेक्टर, एन0आर0एच0एम0, राज0 जयपुर।
5. निदेशक (जन स्वास्थ्य/प0क0/आईईसी/एडस/एम0एस0यू0/ई0एस0आई0), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाऐं, राज0 जयपुर।
6. राज्य औषधि नियंत्रक, साई रोड, बद्दी जिला सोलन (एच0पी0)/उत्तराखण्ड (देहरादून)।
7. निदेशक, जन सम्पर्क निदेशालय, राज0 जयपुर।
8. समस्त अधीक्षक, सामुहिक चिकित्सालय समूह, राजस्थान।
9. समस्त प्रमुख चिकित्सा अधिकारी राजस्थान।
10. समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, राजस्थान।
11. जन सम्पर्क अधिकारी, निदेशालय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाये, स्वास्थ्य भवन, जयपुर।
12. प्रभारी सर्वर रूम, मुख्यालय को भेजकर लेख है कि उक्त सभी अधिकारियों को आदेश की प्रति e-mail से भी भिजवावें तथा Drugs Control की विभागीय Website पर upload करने का श्रम करें।
13. रक्षित पत्रावली।

औषधि नियंत्रक,
राजस्थान, जयपुर।

D:\Mukesh Ji\Alert Notice.doc